न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 –87 / 2020(2020 / 00112)

अनवान : –

1. विनोद कुमार पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. भूपसिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
2. सुनील पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
4. ओबीसी बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा गांधीबड़ी।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री धर्मपाल बेरवाल वादी
श्री राजेश बैनीवाल प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः 03/09/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 7 एसडीआर के वर्तमान खाता सं 92 / 87 के मु0न0 25 किला न0 8, 9, 11, 12, 13, 18 ता 23 की 2. 7830 हैक्टेयर, मु0 न0 26 के किला न0 12 ता 18, 23 ता 25 की कुल 2.530 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 5.3130 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह के नाम 1.767 हैक्टेयर व चक 18 एएमएस के खाता संख्या 44 / 46 के मु0 न0 7 के किला नम्बर 11 ता 25, मु0 न0 8 के किला नम्बर 15, मु0 न0 10 के किला नम्बर 3, 4, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18 कुल 6.3250 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह के नाम 1 / 3 हिस्सा मय खाला खातेदारी कृषी भूमि प्रतिवादी भूपसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासति होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा बलवीर की खातेदारी हुआ करती थी। बलवीर के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी भूपसिंह के नाम से दर्ज है वह वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन मिली थी। परन्तु नाप्रतिवादी भूपसिंह कर्ता खान दान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी भूपसिंह ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी भूपसिंह के नाम दर्ज होने से वादीगण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह को वादी के दादा बलवीर से विरासतन प्राप्त हुई है। जो जमाबन्दी सम्वत 2073–76 चक 7 एसडीआर के खाता संख्या 92/87 एवं चक 18 एएमएस जमाबनदी सम्वत 2073–76 खाता संख्या 44/46 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्त से हक व हिस्सा है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक का उक्त वाद भूमि में 1/3 हक व हिस्सा है।

वादी अपने बंटवारा में मिली भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहता है जिसके लिए उसे केसीसी ऋण आदि की आवश्कता रहती है इसलिए वादी पारिवारिक समझौता एवं बंटवारा अनुसार अर्जीदावा की मद संख्या 3 में दर्ज वादभूमि चक 7 एसडीआर के खाता संख्या 92/87 में कुल 5.3130 हैक्टेयर में से 1.767 हैक्टेयर व चक 18 एएमएस के खाता संख्या 44/46 कुल 6.3250 हैक्टेयर में 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार है इसी अनुसार वादी हक हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी विनोद कुमार पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी गांधीबड़ी के साक्ष्य करवाये गये । साक्ष्यवादी में जमाबंदी चक 7 एसडीआर सम्वत 2073–76 प्रदर्श 1, जमाबंदी चक 18 एएमएस सम्वत 2073–76 प्रदर्श 2, ग्राम पंचायत गांधीबड़ी का सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, वादी ने रोही मौजा चक 7 एसडीआर के वर्तमान खाता सं 92/87 के मु0न0 25 किला न0 8, 9, 11, 12, 13, 18 ता 23 की 2.7830 हैक्टेयर मु0 न0 26 के किला न0 12 ता 18, 23 ता 25 की कुल 2.530 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 5.3130 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह के नाम 1.767 हैक्टेयर व चक 18 एएमएस के खाता संख्या 44/46 मु0 न0 7 के किला नम्बर 11 ता 25 मु0 न0 8 के किला नम्बर 15, मु0 न0 10 के किला नम्बर 3, 4, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18 कुल 6.3250 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह का 1/3 हिस्सा मय खाला खातेदारी कृषी भूमि प्रतिवादी भूपसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिससे वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 बहिस्सा बराबर के

खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा चक चक 7 एसडीआर के वर्तमान खाता सं 92/87 के मु0न0 25 किला न0 8, 9, 11, 12, 13, 18 ता 23 की 2.7830 हैक्टेयर मु0 न0 26 के किला न0 12 ता 18, 23 ता 25 की कुल 2.530 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 5.3130 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह के नाम 1.767 हैक्टेयर व चक 18 एएमएस के खाता संख्या 44/46 मु0 न0 7 के किला नम्बर 11 ता 25 मु0 न0 8 के किला नम्बर 15, मु0 न0 10 के किला नम्बर 3, 4, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18 कुल 6.3250 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह का 1/3 हिस्सा मय खाला खातेदारी कृषी भूमि प्रतिवादी भूपसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी संख्या 1 विनोद कुमार एवं प्रतिवादी सं 1 भूपसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 सुनील तीनों को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03/09/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 –87/2020(2020/00112)
अनवान : –

1. विनोद कुमार पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. भूपसिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
2. सुनील पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
4. ओबीसी बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा गांधीबड़ी।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ जयसिंह चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल व वकील प्रतिवादी श्री राजेश बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक चक 7 एसडीआर के वर्तमान खाता सं 92/87 के मु0न0 25 किला न0 8, 9, 11, 12, 13, 18 ता 23 की 2.7830 हैक्टेयर मु0 न0 26 के किला न0 12 ता 18, 23 ता 25 की कुल 2.530 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 5.3130 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह के नाम 1.767 हैक्टेयर व चक 18 एएमएस के खाता संख्या 44/46 मु0 न0 7 के किला नम्बर 11 ता 25 मु0 न0 8 के किला नम्बर 15, मु0 न0 10 के किला नम्बर 3, 4, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18 कुल 6.3250 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह का 1/3 हिस्सा मय खाला खातेदारी कृषी भूमि प्रतिवादी भूपसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी विनोद कुमार एवं प्रतिवादी सं 1 भूपसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 सुनील तीनों को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(seal: उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा)

(जयसिंह चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)